

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 204 / 2026

बाढ़ थाना कांड संख्या 68 / 2026

अन्तर्गत धारा—126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस

26.03.2026

आवेदक अभियुक्तगण—1. पिकु उर्फ भगत यादव उर्फ राजीव कुमार 2. झुनुक लाल उर्फ संजय कुमार एवं 3. सौरभ कुमार की ओर से एक आवेदन दाखिल कर उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। अतः, ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाए। अभियोजन को आवेदन की वापसी से कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुना। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन की वापसी लेने की अनुमति प्रदान हुए 1. पिकु उर्फ भगत यादव उर्फ राजीव कुमार 2. झुनुक लाल उर्फ संजय कुमार एवं 3. सौरभ कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

लेखापित/शुद्धित

Sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़